

झारखण्ड सरकार  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

संकल्प

विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालय में शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालन हेतु स्वीकृत पदों के विलक्ष्ण रिक्त पदों पर धंडी आधारित शिक्षकों की संविदा पर नियुक्ति एवं शिक्षकोत्तर कर्मियों को मानदेय के भुक्तान के संबंध में मार्गदर्शिका।

यज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने एवं GER दर में बढ़िए के लिए सरकार कृत संकल्पित है। कई महाविद्यालयों में भी स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने की शार्झ प्रक्रियाधीन है। विनोवा भावे विश्वविद्यालय द्वारा CBCS लागू किया गया है तथा अन्य विद्यालयों द्वारा भी इसे लागू करने की प्रक्रिया अपनायी जा रही है, जिसमें शिक्षकों की संख्या त होनी चाहिए। अतएव विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य के सुचारू रूप संचालन के लिए स्वीकृत पदों के विलक्ष्ण रिक्त पदों पर तत्कालीक व्यवस्था के तहत धंडी आधारित कों की नियुक्ति(संविदा पर) कर शिक्षण कार्य लेने पर सरकार द्वारा मिर्ण्य लिया गया है।

2. स्वीकृत पद के विलक्ष्ण रिक्त पदों की बजह से डिग्री महाविद्यालयों एवं स्नातकोत्तर औं की पढ़ाई सुचारू रूप से सम्पन्न हों, इसके लिए निम्न मार्ग दर्शन निर्लिपि किया जाता

- i) विवितयों के विलक्ष्ण शिक्षकों की नियुक्ति प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कुलपति की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। चयन समिति में अध्यक्ष के अलावा संबंधित विषय के स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष, एक विषय विशेषज्ञ तथा संबंधित डीन रहेंगे। चयन समिति के सदस्य सचिव कुलपति के रूप में रहेंगे। चयन समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा विषयव्याख्यात शिक्षकों का ऐनल नियमानुसार तैयार किया जायेगा। ऐसे शिक्षकों को अन्तर्रेता का भुगतान उनके द्वारा पढ़ाये गये धंडी के आधार पर होगा।
- ii) संविदा पर नियुक्ति में आरक्षण रोटर का अनुपालन किया जाएगा, जिसका रिक्त पद के विलक्ष्ण नियुक्ति की जा रही है, उसके लिए कण्ठित आरक्षण ही, नियुक्ति में मान्य होगा।
- iii) उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार धंडी आधारित संविदा के लिए निर्धारित विभागाध्यक्ष ऐवत अधिकतम 03 वर्षों के लिए नाब्य होगा। किन्तु अतिरिक्त शिक्षकों वर्षी उपराश्यकता को देखते हुए ऐनल में प्रत्येक वर्ष नये नाम जोड़े जा सकेंगे।
- iv) धंडी आधारित संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति की संख्या उनके रिक्त पदों के विलक्ष्ण होगी।

